सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय अनियमितताएं

*443. **श्री प्रभात झा**: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.ईज.) में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं को रोकने में विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोष को कितना घाटा हुआ है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलास राव देशमुख): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2009-10 की अपनी रिपोर्ट (वाणिज्यिक) संख्या सीए-24 दिनांक 09 जुलाई, 2009 को संसद में प्रस्तुत कर दी थी और उक्त रिपोर्ट में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में कतिपय कमियों के बारे में टिप्पणी की थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ वित्तीय जटिलताएं पैदा हो गई हैं।

(ग) और (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इन कमियों के कारणों की ओर भी इशारा किया है। सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा पैरों/टिप्पणियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कार्रवाई करनी होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में कारगर एवं शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ने मानिटरिंग कक्ष की भी व्यवस्था की है।

(ङ) नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों-सीए 24, वर्ष 2009-10; सीए 11, वर्ष 2008 तथा सीए 11, वर्ष 2007 में लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय भार की राशि क्रमशः 1846.58 करोड़ रुपए, 1404.32 करोड़ रुपए तथा 4547.63 करोड़ रुपए रही। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (ए.टी.एन.) पुनरीक्षा हेतु नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से पुनरीक्षा संबंधी टिप्पणी प्राप्त करने के बाद उसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति(कोपू) को प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा एटीएन की पुनरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से कराना और उसके बाद उसे प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है।

Financial irregularities in PSEs

†*443. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government is aware of financial irregularities in Public Sector Enterprises (PSEs);

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons of failure in checking these irregularities;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(d) the action, Government proposes to take on the basis of Comptroller and Auditor General's (CAG) Report in terms of financial irregularities; and

(e) the loss accrued to Government exchequer during the last three years due to financial irregularities in PSEs?

THE MINISTER FOR HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Comptroller and Auditor General (C&AG) in its Report (Commercial) No. CA 24 of 2009-10 that was placed in the Parliament on 9th July, 2009, has observed deficiencies in management of PSUs, which have certain financial implications.

(c) and (d) C&AG have also pointed out reasons for these deficiencies. The concerned Ministry/Department is required to take necessary action including remedial action, if any, on the Audit paras/observations relating to Central Public Sector Enterprises (CPSEs) under its administrative control. In order to effectively monitor and expedite the follow up action on C&AG report, each Administrative Ministry/Department has also set up monitoring cell.

(e) As per the audit observations made in the C&AG Reports No CA 24 of 2009-10, CA 11 of 2008 and CA 11 of 2007 the financial implications amount to Rs. 1846.58 crore. Rs. 1404.32 crore and Rs. 4547.63 crore respectively. The concerned administrative Ministry/Department is required to submit Action Taken Notes (ATNs) to the office of C&AG for their vetting. After obtaining the vetting remarks of C&AG, the same is submitted by the concerned administrative Ministry/Department for consideration of the Committee on Public Undertakings (CoPU). Submission of the ATNs by respectively Ministry/Department after getting the same vetted by the office of C&AG is continuous process.

श्री प्रभात झा: माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जो उत्तर आया है, वह प्रश्नकर्त्ता के समाधान के लिए नहीं है और वह देश के लिए भी खतरा पैदा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2009-10 की जो रिपोर्ट रखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वर्ष 2009-10 में 1846.58 करोड़ रुपए, वर्ष 2008-09 में 1404 करोड़ रुपए और उसके पहले यानी वर्ष 2007-08 में 4547 करोड़ रुपए की अनियमितताएं बरती गई हैं। अब देखिए, इनका उत्तर बड़ा मजेदार है। वह यह है कि इन्होंने कहा कि कुछ अनियमितताएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं, जैसे वित्तीय जटिलता हो गई या कुछ कमियां हो गईं। महोदय, सरकार देश के गरीबों और अमीरों से टैक्स लेती है और इतनी बड़ी राशि को कहा जाता है कि यह थोड़ी बहुत अनियमितता है।

श्री सभापति: कृपया आप सवाल पूछिए।

श्री प्रभात झा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वह कितनी बड़ी राशि को अनियमितता मानते हैं?

श्री विलासराव देशमुख: सर, माननीय सम्मानीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह CAG की रिपोर्ट में जो अनियमितता बताई गई है, उसके बारे में है। सरकार के पास इसके बारे में एक procedure है, उसके अनुसार जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट के द्वारा एक 'Action Taken Report' बनायी जाती है और वह दोबारा CAG के पास भेजी जाती है। उसके बाद हमारे पास Undertakings को देखने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनी हुई है, उसके सामने इस रिपोर्ट को रखा जाता है और इस रिपोर्ट में

जितनी भी अनियमितताएं दिखाई जाती हैं, उनके बारे में संबंधित विभाग से पूछा जाता है। हर विभाग में इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ है। CAG की रिपोर्ट की जिस-जिस पैरा में अनियमितता दिखाई जाती है, उन सभी पैरा को Undertakings की मॉनिटरिंग कमेटी के पास भेजा जाता है और उसके बाद उसका सही जवाब दिया जाता है। जब उसका समाधान हो जाता है, तो उस पैरा को वहां से हटाया जाता है। जवाब में जो figure आई है, वह सीधे CAG की रिपोर्ट से आई है। CAG की रिपार्ट आने के बाद दो लंबी procedures होती हैं, उन procedures के बाद यह figure कम होती है। Undertakings की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद समझा जाता है कि उसको कोई मोहलत देने की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर एक्शन ले लिया जाता है, बल्कि ये सारी जो procedures हैं, उन procedures के तहत पहले इन सारी अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और कोई अनियमितता दूर नहीं होती है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।

श्री प्रभात झा: CAG के वाणिज्य एवं ऑडिट के प्रधान निदेशक श्री पी.के. मिश्रा, जो आपके ही हैं, ने कहा है कि हमारा काम रिपोर्ट प्रस्तुत करना है और मंत्रालय का काम एक्शन लेना है। अब मंत्रालय नहीं लेती है, तो हम क्या करें, हम तो हर साल रिपोर्ट भेजते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक कितनी CAG की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है?

श्री विलासराव देशमुख: सर, सम्माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे पास जो टोटल पैरा अब तक आए थे, वे 2214 थे। उनका सही जवाब देने के बाद कई पैरा उसमें से कम हुए हैं और अब हमारे पास number of paras on which action is complete, तो उसमें करीब 1500 पर action complete हो गया है और जो बाकी बचे हैं, वे केवल 245 हैं। यह एक continuing process है, यह कोई एक दिन का काम नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सारे जो पैरा होते हैं, उनका सही ढंग से समाधान करने का काम वह विभाग करता है और समाधान नहीं होने की स्थिति में उसके लिए पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के सामने सारी रिपोर्ट जाती है और जब कमेटी में समाधान नहीं होता, तो उसके बाद विभाग की तरफ से उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, Bangalore, being the hub of the public sector enterprises in the country, a large number of public sector units are operating from there. Some of the public sector units are pioneers in their fields; like, the Indian Telephone Industries and the Hindustan Machine Tools. Now, these units are in the red. I would like to know whether there is any move, or, as has been stated in part (2) of the reply, whether he has received any suggestion from this Department of merging the ITI with the BSNL, and the HMT taking up any programme or project of the Railways.

SHRI VILASRAO DESHMUKH: Sir, this supplementary does not relate to the main question. But, as the hon. Member has suggested, we will, certainly, look into it.

श्री महेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सी.ए.जी. की रिपोर्टें आती हैं और उन पर जो वे कहते हैं कि हम कार्यवाही करते हैं, तो उस कार्यवाही की अंततः क्या स्थिति बनती है? महोदय, इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के अंदर जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जितनी पैसे की बरबादी बढ़ रही है, उसकी ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। धीरे-धीरे कुछ ऐसी युनिटें हैं, जिन पर नियमित रूप से हर वर्ष सी.ए.जी. अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ये public sector enterprises हैं, जिनमें बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। तो क्या वे कोई ऐसी सूची हमारी जानकारी में लाएंगे कि विगत तीन वर्षों में कौन से ऐसे public sector enterprises हैं, जिन पर हर वर्ष सी.ए.जी. के एतराज़ आ रहे हैं और उन पर क्या कार्यवाहियां की गई हैं?

MR. CHAIRMAN: I think this information is available in the Report. Anyway, go ahead.

श्री विलासराव देशमुख: सर, सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि उसके लिए क्या कार्यवाही सरकार की होती है, उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, तो सरकार की तरफ से जैसे internal audit होता है, statutory audit होता है, उसके लिए ऑडिट कमेटी बनी हुई है। उसके बाद CAG की रिपोर्ट आती है, फिर इसके ऊपर पार्लियामेंटरी कंट्रोल भी है, तो मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं कि इतना सब होने के बाद भी ये अनियमितताएं क्यों होती हैं? आपने बिलकुल सही सवाल पूछा है। वैसे मैंने खुद देखा है और जो भी अनुभव हमने प्रांतों से लिया है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि केवल एक रिपोर्ट भेजनी है और उसके ऊपर चर्चा होनी है, इसलिए उस पर आगे कुछ नहीं होता है। यह जो आपकी भावना है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर और ज्यादा monitoring की जरूरत है, ताकि जो CAG की रिपोर्ट आए, तो कम से कम एक डर तो लगे कि अगर इतनी बड़ी अनियमितता होती है, तो मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा। इसलिए इस तरह की कोई नई व्यवस्था करने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मानता हूं।

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I would first congratulate the hon. Minister, who has just been elected to the Rajya Sabha. In respect of all public sector units, we have reserved two per cent of profit to be spent towards corporate social responsibility. The CAG Report also throws some light on the irregularities; the money, meant for spending for the poorest, is not being spent. These relate to the public sector undertakings. Will the hon. Minister try to look into those irregularities as well; and, is there any thinking on the part of the Government to increase it to five per cent of the profit?

SHRI VILASRAO DESHMUKH: Sir, this suggestion, made by the hon. Member, is very valid, and, we will, certainly, see to it that some more amount is earmarked for any public purpose, or, for environmental improvement of that particular area.

Mormugao Port Trust

*444. SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Will the Minister of SHIPPING be pleased to state:

(a) whether there is a dispute between the State Government of Goa and the Mormugao Port Trust (MPT);

(b) if so, the names and description of the disputed plot or plots of land;

(c) the stand of the State Government of Goa on each plot or parcel of land and the contention of MPT thereon;

(d) the number of meetings held between MPT and the State Government of Goa in this matter; and

(e) the status of the discussion?

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) (i) Land admeasuring 23,553 sq.mtrs. at Adarshnagar, bearing No. 144/1 in Chalta No. 1 of PT Sheet No. 144 of Vasco city.